

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन  
पोस्ट आफिस-नौएछा  
नौएछा सेक्टर-६  
जनपद-गाजियाबाद (उ०प्र०)

संख्या : नौएडा/बी०सी०/बी०पी०/

दिनांक : १०/११/१९

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नवीन ओखला विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

श्री/श्रीमती

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि वास्तुविद/अभियन्ता/नक्शानवीस/समूह...  
लाईसेन्स संख्या... के पर्यवेक्षण में पूरे किये गये... सेक्टर में भूखण्ड  
संख्या... पर भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/गिराये जाने के काम का इस  
प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है तथा घोषणा करता हूं कि सम्बन्धित  
लाईसेन्सधारी के तकनीकी कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाणपत्र तथा समापन  
प्रमाणपत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता  
और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र दिनांक 20/6/2001 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आबंटी द्वारा भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ फेर बदल किया/किये जाते हैं तो उसके विरुद्ध उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित होगी।